>

Title: Need to settle the dispute over distribution of assets/capital between Uttar Pradesh and Uttarakhand as per provisions of Uttar Pradesh Reorganization Act, 2000.

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): बड़े हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में सर्व सम्मति प्रस्ताव से उत्तराखण्ड राज्य का गठन हुआ था । उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में परिसम्पति के बंटवारे के मानकों के अनुसार कई विभागों की परिसम्पति जैसे जल विद्युत, सिंचाई, उद्योग, सहकारिता बैंक, खाद्य, शिक्षा और सरकारी अधिकारी एवे कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदि मसलों को तय होना था ।

खेद की बात है कि 9 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक कई परिसम्पति बंटवारे के विवाद तय नहीं हो पाये हैं, जिससे नये राज्य उत्त्राखण्ड में विकास अवरूद्ध हो रहा है ।

जनहित में मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार स्वयं हस्तक्षेप कर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता कर पुर्नगठन के बाद लम्बित परिसम्पति विवादों के लंबित मसलों को शीघ्रातिशीघ्र सुलझाने और तय करने का कार्य करें, जिससे नये राज्य का निर्माण जिन सपनों के साथ हुआ था वह पूरा हो सके ।